

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०-वन निगम-०५/२००१ (भाग)-१८८७ /व०प०, राँची दिनांक-२८/०५/२०१९

बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९८४ की धारा-“६” के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों एवं अनुबंधों के अधीन वर्ष २०१९ के लिए झारखंड वन उपज सलाहकार समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम एवं पता	समिति का पदनाम
i	माननीय मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड राँची।	अध्यक्ष
ii	श्री विद्युत वरण महतो, माननीय सांसद, जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र।	उपाध्यक्ष
iii	श्री जय प्रकाश भोक्ता, माननीय सदस्य झारखंड विधान सभा चतरा विधान सभा क्षेत्र।	सदस्य
iv	श्री शिव शंकर उराँव, माननीय सदस्य झारखंड विधान सभा, गुमला विधान सभा क्षेत्र।	सदस्य
v	श्री नागेन्द्र महतो, माननीय सदस्य झारखंड विधान सभा, बगोदर विधान सभा क्षेत्र।	सदस्य
vi	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची	सदस्य
vii	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि०, राँची।	सदस्य सचिव
viii	मेसर्स महादेव सॉ मिल, प्रो०-श्री तुलसी मंडल, मो०+पो०-फतेहपुर, जिला-जामताड़ा, मोबाईल नम्बर-९९३९३८०७४७ (विनिर्दिष्ट वन पदार्थ व्यापारी/वन पदार्थ से तैयार होने वाले उत्पादों के निर्माता)।	सदस्य
ix	श्री मुकेश कुमार सिन्हा, ग्राम+पो०-नगर ऊँटारी, बंशीधर रोड-गढ़वा, (विनिर्दिष्ट वन उत्पादों के प्राथमिक संग्राहक)।	सदस्य
x	श्री गोविन्द भोगता, वल्द-स्व० फिरंगी गंझू, ग्राम-चरही, पो०-चरही, जिला-हजारीबाग, मो० नं०-८२९८०२०५१७ (मानकी मुण्डा, पाहन प्रमुख छोटानागपुर क्षेत्र)।	सदस्य
xi	श्री गंगा पहाड़िया (प्रधान), पिता-स्व० सोनिया पहाड़िया, ग्राम-ताड़ोबांध, पोस्ट-चंदना, थाना-सुन्दरपहाड़ी, प्रखंड-सुन्दरपहाड़ी, जिला-गोड्डा, (मानकी मुण्डा, पाहन प्रमुख संथाल परगना क्षेत्र)।	सदस्य

2. समिति की बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से समय-समय पर आहूत की जा सकेगी।
3. सलाहकार समिति झारखंड सरकार को निम्नलिखित कार्यों में परामर्श देगी।
 - (क) इस अधिनियम की धारा-2(4) के अनुसूची के अन्तर्गत विक्रय के लिए प्रस्तावित प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज का उचित एवं युक्ति युक्त कीमत निर्धारित करने में सलाह देगी।
 - (ख) समिति की अनुशंसा के आधार पर ही सरकार या उसके प्राधिकृत पदाधिकारी प्राथमिक संग्रहणकर्ता से ऐसी उपज खरीदेगा।
 - (ग) समिति अधिनियम की धारा-2(4) के अनुसूची एवं समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक वन उपजों के लिए अलग-अलग सलाह देगी।
 - (घ) यदि समिति सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अंदर सलाह देने में असफल हो तो सरकार समिति के परामर्श के बिना ही दर निर्धारण की कार्यवाई कर सकेगी।
 - (ङ) ऐसे अन्य कार्य जिनका संबंध वन उपज से हो और जो सलाहकार समिति को राज्य सरकार द्वारा सौंपा जाय।
 - (च) इस अधिनियम के अधीन कार्यान्वयन हेतु अन्य मामले।
 - (छ) समिति बैठक एक पक्ष के अंदर कर आवश्यक अनुशंसा सरकार को उपलब्ध करायेगी।
4. समिति के सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि कंडिका-3 में वर्णित कार्यों के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज के संग्रहण दर पर अनुशंसा ससमय प्राप्त कर सरकार को उपलब्ध करायेंगे।
5. समिति के गैर सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता इत्यादि निम्न प्रकार से देय होगा।
 - (क) समिति के गैर सरकारी सदस्य का यात्रा भत्ता के संबंध में प्रथम श्रेणी के सदस्य माने जायेंगे।
 - (ख) गैर सरकारी सदस्य जो संसद सदस्य हैं उन्हें इस समिति की बैठक में भाग लेने हेतु संसद में वहाँ के सदस्यों को जो यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होता है वही भत्ता उन्हें देय होगा।
 - (ग) गैर सरकारी सदस्य जो झारखंड विधान सभा के सदस्य है उन्हें समिति की बैठक में भाग लेने के लिए झारखंड विधान सभा के सदस्यों को जो यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य है वहीं उन्हें देय होगा।
6. सलाहकार समिति का कार्यकाल दिनांक-31.12.2019 तक होगा।
7. समिति के गैर सरकारी सदस्यों के अनुमान्य भत्तों का नियमानुसार भुगतान अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0, राँची के द्वारा किया जायेगा।
8. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रंजना बर्मन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-वन निगम-05/2001 (भाग)-

व०प०, राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-वन निगम-05/2001 (भाग)-

व०प०, राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-वन निगम-5/2001 (भाग)-

व०प०, राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि-माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के वरीय आप्त सचिव/श्री विद्युत वरण महतो, माननीय सांसद, जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र, ग्राम-कृष्णापुर, पोस्ट-इन्डस्ट्रीयल एरिया आदित्यपुर, थाना-आर० आई० टी०, जिला-सरायकेला-खरसावाँ, झारखण्ड-831013/श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, माननीय स०वि०स०, चतरा विधान सभा क्षेत्र, विधायक आवास संख्या-45, 46 एवं 47 झारखण्ड विधान सभा, राँची/श्री शिव शंकर उराँव, माननीय स०वि०स० गुमला विधान सभा क्षेत्र, विधायक आवास संख्या-5 सेट, सी०-4, मेयर्स रोड, मोराबादी, राँची तथा श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स०, बगोदर विधान सभा क्षेत्र, विधायक आवास संख्या-114, 115 एवं 116 झारखण्ड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-वन निगम-05/2001 (भाग)- 1887 व०प०, राँची, दिनांक- 28/05/2019

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सचिव, लोकसभा सचिवालय, संसद मार्ग नई दिल्ली, सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/वन प्रमंडल पदाधिकारी/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची तथा मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची से अनुरोध है कि क्र० सं०-viii, ix, x एवं xi में अंकित माननीय सदस्यों को अपने स्तर से संसूचित करने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव